7-3-17 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-3-17 को पेश हो।

रीडर

28-3-17 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-3-17 को पेश हो।

रीडर

28-3-17 वकील वादीगण उप० है। प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त हो चुका है। वास्ते [illegible] पत्रा. पि० 2-5-17 को पेश हो

2-5-17 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-5-17 को पेश हो राजस्व लोक अदालत कैम्प कूचोलाई पर पेश हो।

रीडर

26-5-17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कूचोलाई पर पेश हुई। वादीगण उपस्थित है। प्रतिवादीगण उपस्थित है। वादीगण को सुना गया। वादीगण ने वादी अमरलाल, गवाह मुरारी, रामस्वरूप के बयान कराए। रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड से वादी का दावा प्रमाणित है। अतः वादी का दावा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

1528-29

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
5/2016	8.1.2016	26-5-2017

1. अमरलाल पुत्र भौरया, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तह0 गंगापुर सिटी
2. पप्पू पुत्र अमरलाल, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तह0 गंगापुरसिटी——वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. नायब तहसीलदार तलावडा तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख0नं0 90 रकबा 4 बीघा 12 विस्वा स्थित ग्राम टोंटोलाई तहसील गंगापुर सिटी में से 1 बीघा 10 विस्वा भूमि वादी नं0 1 को दि0 12.1.83 को आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा दिया गया तभी से वादी इस भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। सेटिलमेंट के दौरान इस भूमि का नया नम्बर 390 रकबा 33 एयर कायम किया गया परन्तु इसकी खातेदारी वादी की बजाय सिवायचक दर्ज कर दी गई। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही शुरू से ही अवैधानिक, शुन्य व प्रभावहीन है तथा निरस्त होने योग्य है। वादी नं0 1 अपनी खातेदारी भूमि को आवंटिन के बाद से ही लगातार काश्त कर फसल से लाभान्वित होता चला आ रहा है। एक दिन वादी नं0 2 पप्पू के नाम से नायब तहसीलदार तलावडा के यहां से नोटिस मिले । पटवारी से मिलने पर पटवारी ने बताया कि भूमि सिवायचक हो गई है। पप्पू को नायब तहसीलदार द्वारा सजा कर दी गई। वादी ने ए0डी0एम0 साहब के यहां अपील की जो दिनांक 15.10.2014 को खारिज हो गई। वादी ने राजस्व अभिलेख की नकलें ली जो दिनांक 27.10.15 को प्राप्त हुई इसलिए यह दावा अब किया जा रहा है। नायब तहसीलदार तलावडा वादी नं0 2 को गिरफ्तार कराने व वादीगण को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जाकर भूमि हाल ख0नं0 390 रकबा 33 एयर ग्राम टोंटोलाई को वादी नम्बर 1 की खातेदारी की भूमि घोषित की जावे। उक्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज की जावे एवं वर्तमान में दर्ज इन्द्राज हजफ किए जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को वर्तमान में दर्ज

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

गलत इन्द्राज की आड में भूमि से बेदखल न तो स्वयं करें न ही किसी से बेदखल करावें, मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपने जबाब दावे में वादीगण के दावे को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि सेटिलमेंट विभाग द्वारा ख0नं0 390 रकबा 33 एयर सिवायचक दर्ज किया गया है इसलिए अतिक्रमी को बेदखल किया जाना नियमानुसार आवश्यक है। अतः दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075, नकल नक्शा ट्रेस, नकल मिलान क्षेत्रफल, भूमि आवंटन आदेश दि0 12.1.83, नकल जमाबंदी सं0 2032 से 2035 पेश किए हैं एवं राजस्व लोक अदालत कैम्प बूचोलाई में स्वयं के, गवाह मुरारी पुत्र गोरधन गूजर निवासी टोंटोलाई तथा गवाह रामस्वरूप पुत्र मनफूल गूजर निवासी टोंटोलाई के बयान कराए हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ।

पत्रावली दि0 26.5.17 को राजस्व लोक अदालत कैम्प बूचोलाई में रखी गई। कैम्प में वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। दोनों पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

भूमि आवंटन आदेश दिनांक 12.1.83 के अनुसार ख0नं0 90 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा ग्राम टोंटोलाई वादी अमरलाल पुत्र भौरया को आवंटित हुई है। नकल जमाबंदी सं0 2032 से 2035 में अंकित नोट के अनुसार नामा0सं0 88 दि0 12.1.83 से यह भूमि वादी अमरलाल के नाम अंकित हुई है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0नं0 90 से ख0नं0 390 रकबा 33 एयर बना है जो नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 के अनुसार राज0सरकार के नाम दर्ज है। गवाहों के बयानों के अनुसार ख0नं0 390 पर वादी अमरलाल का कब्जा है एवं यह भूमि उसे आवंटित हुई है।

प्रस्तुत अभिलेख एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसार ख0नं0 90 में रकबा 1 बीघा 10 विस्वा भूमि वादी अमरलाल को आवंटित होना व उसका नवीन नम्बर 390 रकबा 33 एयर बनना प्रमाणित है फलस्वरूप वादी अमरलाल ख0नं0 390 रकबा 33 एयर भूमि स्थित ग्राम टोंटोलाई की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 390 रकबा 0.33 है0 ग्राम टोंटोलाई का वादी अमरलाल पुत्र भौरया, गुर्जर निवासी टोंटोलाई को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि सिवायचक से हजफ की जाकर वादी अमरलाल पुत्र

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मौरया, गुर्जर निवासी टोंटोलाई के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26-5-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज.)

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

1. अमरलाल पुत्र भौरया, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तह0 गंगापुर सिटी

2. पप्पू पुत्र अमरलाल, गुर्जर निवासी टोंटोलाई तह0 गंगापुरसिटी——वादीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

2. नायब तहसीलदार तलावडा तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 5/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 390 रकबा 0.33 है0 ग्राम टोंटोलाई का वादी अमरलाल पुत्र भौरया, गुर्जर निवासी टोंटोलाई को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि सिवायचक से हजफ की जाकर वादी अमरलाल पुत्र भौरया, गुर्जर निवासी टोंटोलाई के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26-5-2017 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		